कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्रीय निदेशालय (आरडीएसडीई) द्वारा ओडिशा भुवनेश्वर में शिक्षुता सुधार पर एक कार्यशाला का आयोजन

• कार्यशाला शिक्षुता अधिनियम के तहत नवीनतम सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित रही।

• दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों, राज्य शिक्षुता सलाहकारों, सहायक शिक्षुता सलाहकारों, क्षेत्र कौशल परिषदों, आरडीएसडीई और तृतीय पक्ष एग्रीगेटरों के 150+ प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

• शिक्षुता सुधारों के क्रियान्वयन में तेजी लाने और शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में ऐसी 250 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

भुवनेश्वर, 27 मई 2022: कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा नवीन और परिष्कृत शिक्षुता सुधारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई), ओडिशा ने शिक्षुता सुधार पर वर्ल्ड स्किल सेंटर मंचेश्वर, भुवनेश्वर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य देश के शिक्षुता मॉडल के भीतर कार्यान्वित किए गए नए परिवर्तनों पर हितधारकों की क्षमता-निर्माण करना था। इसके अलावा, जैसा कि केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा घोषित किया गया है, सुधारों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कुल 250 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

कार्यशाला में शिक्षुता कार्यक्रम की मूल्य श्रृंखला में 163 से अधिक प्रतिभागियों के साथ अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई। इसमें टाटा स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट, पारादीप रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी), 18 क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय (आरडीएसडीई), 9 थर्ड पार्टी एजेंसी (टीपीए) जैसे 104 प्रतिष्ठान, 25 रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय (डीईटी), और 5 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) शामिल हैं।

यद्यपि प्रमुख चर्चा बिंदु परीक्षा मॉड्यूल, समयसीमा और भुगतान गेटवे के थे, तथापि कुछ संक्षिप्त बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट (एआईटीटी) अब वार्षिक के बजाय एक त्रैमासिक परीक्षा है। इसके बाद, परीक्षा "ऑन-डिमांड" मोड में चली जाएगी।
- आईटीआई पास आउट के लिए सिद्धांत परीक्षा नहीं होगी, जबकि फ्रेशर शिक्षु हमेशा की तरह सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों के लिए उपस्थित होंगे।
- प्रस्तुतिकरण, प्रसंस्करण, अनुमोदन और रिलीज सिंगल-विंडो सिस्टम के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा। उद्योग की सहायता के लिए एनएपीएस के तहत प्रतिपूर्ति की वास्तविक समय की स्थिति की निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग उपयोगिता और एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की जा रही है।
- भुगतान गेटवे सुविधा निर्दिष्ट ट्रेडों से संबंध वाले प्रतिष्ठानों के लिए विस्तारित है।
- चार या अधिक राज्यों में व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठानों को केवल एक आरडीएसडीई के साथ पंजीकरण करने की अनुमति है।
- वैकल्पिक ट्रेड, विनिदिष्ट ट्रेड के तहत प्रशिक्षित शिक्षुओं और शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रशिक्षित शिक्षुओं के कुल सत्यापन के बिना उद्योग को नोटिस जारी नहीं किए जाने हैं।

इस पहल की सराहना करते हुए, **श्री अतुल कुमार तिवारी, विशेष सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कहा,** "भारत की कामकाजी आयु की लगभग 62.5% आबादी 15 से 59 वर्ष के बीच की है, जो भारत के आर्थिक इंजन को चलाने के लिए एक आकर्षक समिश्रण है। शिक्षुता प्रशिक्षण के साथ, जिसे कौशल अधिग्रहण के लिए सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है, हम युवाओं को कक्षा से कारखाने तक ले जाने में उन्हें शीघ्रता, कुशलता से और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर सकते हैं, इस प्रकार अल्प लाभान्वित समुदायों के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन कार्यशालाओं

के आयोजन से हम उद्योगों को हमारे साथ साझेदारी करने और उनके कार्यबल में अधिक शिक्षुओं को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्षम होंगे।"

इनके साथ, अनुबंध निर्माण, पेरोल प्रक्रिया, दावा प्रतिपूर्ति, वेतन-सारिणी जमा करने, भुगतान गेटवे, शिकायतें दर्ज करने के लिए टिकट उपकरण, और पाठ्यक्रम अपडेट पर शिक्षुता पोर्टल का लाइव प्रदर्शन भी प्रदान किया गया। हितधारकों ने कार्यान्वयन प्रक्रिया, अधिनियम और नियमों को और सरल बनाने के लिए कई सुझाव दिए। एमएसडीई अतिरिक्त नीतिगत इनपुट और बाद के कार्यालय आदेशों के लिए सुझावों का संकलन कर रहा है।

<u>कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के संबंध में</u>

भारत सरकार द्वारा 9 नवंबर 2014 को एमएसडीई का गठन कौशल की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से, एमएसडीई ने नीति, रूपरेखा और मानकों को औपचारिक रूप देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहल और सुधार किए हैं; नए कार्यक्रमों और योजनाओं का शुभारंभ; नए बुनियादी ढांचे का निर्माण और मौजूदा संस्थानों का उन्नयन; राज्यों के साथ भागीदारी; उद्योगों से जुड़ना और कौशल के लिए सामाजिक स्वीकृति और आकांक्षाओं का निर्माण करना। मंत्रालय का लक्ष्य न केवल मौजूदा नौकरियों के लिए बल्कि सृजित नौकरियों के लिए भी नए कौशल और नवाचार के निर्माण के लिए कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटना है। कुशल भारत के तहत अब तक 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अधिक जानकारी के लिए: https://www.msde.gov.in/